उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या-1216/ग्यारह-2-21-9(47)/17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(214)-2021

लखनऊः दिनांकः 20 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना

अधिसूचना सं. 445/ग्यारह-2-9(47)/17उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(118)-2020 तारीख 11 मई, 2020 और अधिसूचना संख्या- 496/ ग्यारह-2-21-9(47)/17उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(186)-2021 तारीख 28 जून, 2021, का आंशिक उपान्तरण करके एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन् 2017) की धारा 20 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती हैं कि जहां उक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कोई रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया हो और उक्त अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के रद्द करने का प्रतिसंहरण करने के लिए आवेदन करने की समयसीमा 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2021 की समयावधि के दौरान आती है, वहाँ ऐसा आवेदन करने की समयसीमा तारीख 30 सितंबर, 2021 तक के लिये बढ़ा दी जायेगी।

2. यह अधिसूचना तारीख 29 अगस्त, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

(संजीव मित्तल)
अपर मुख्य सचिव